

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/वीआरएस/एक्स-20/2022/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकाओं को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत कार्मिकों नाम के सम्मुख तिथि से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृति तिथि
1	विमला चाहर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बाडमेर	06.12.1967	26.09.1990	01.10.2023
2	जैसी पी. जॉर्ज, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सिरोही	08.05.1966	01.11.1989	01.09.2023

उक्त कार्मिकाओं का स्वैच्छिक सेवानिवृति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा। कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/वीआरएस/एक्स-20/2022/414

दिनांक:- 22/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर/सिरोही।
4. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी/टी.सी अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh Kumar Naval

Designation: Director

Date :22-08-2023 11:57:09